



बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्यवाही एवं सेवा शर्त) नियमावली 2023

चर्चा में क्यों?

10 अप्रैल, 2023 को बिहार कैबिनेट ने बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्यवाही एवं सेवा शर्त) नियमावली 2023 को स्वीकृति दी। इसके साथ ही पुराने दररे पर नियुक्तियों कर रही इकाइयाँ भंग कर दी गई हैं।

प्रमुख बिंदु

- बिहार राज्य सरकार ने शिक्षक नियुक्ति की नई नियमावली को मंजूरी दे दी है। सातवें फेज की होने वाली नियुक्तियों से यह नियमावली प्रभावी होगी। अब शिक्षक राज्य कर्मी कहलाएंगे।
- नई नियमावली के तहत **CTET** और **STET** पास अभ्यर्थियों को सीधे शिक्षक बनने का मौका मिलेगा और वह राज्यकर्मी बन जाएंगे। नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी बनने के लिये प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा।
- नियोजित शिक्षकों को उम्र सीमा में छूट मिलेगी। राज्य सरकार ने शिक्षक बहाली के लिये न्यूनतम उम्र 21 वर्ष कर दी है। अब आयोजन के जरिये शिक्षकों की बहाली की जाएगी।
- इसके अलावा मंत्रिमंडल ने महंगाई भत्ता बढ़ाने के एजेंडे पर भी मुहर लगा दी है। राज्यकरमियों का महंगाई भत्ता 4 प्रतिशत बढ़ाकर 38% से 42% कर दिया गया है। यह 1 जनवरी, 2023 से लागू हो जाएगा। एक जनवरी 2023 के प्रभाव से महंगाई भत्ता (DA) का लाभ मिलेगा। राज्य के कर्मचारियों के साथ पेंशनभोगियों को भी इसका लाभ मिलेगा।
- बिहार कैबिनेट ने बिहार आकस्मिकता नधि को 300 करोड़ से बढ़ाकर इस वित्तीय वर्ष के लिये 10 हजार करोड़ रुपए अस्थायी रूप से करने की स्वीकृति भी दी है।

PDF Reference URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/bihar-state-school-teacher-appointment,-transfer,-disciplinary-proceedings-and-service-conditions-rules-2023>